



कार्यालय:- वन प्रमण्डल पदाधिकारी, गुमला वन प्रमण्डल, गुमला।

वन भवन-गुमला 835207

e-mail :- forest-gumla@jharkhandmail.gov.in

पत्रांक782...../ दिनांक26/03/2022...../

सेवा में,

Amalgam Steel & Power Limited,
Kandra Chowk Road, P.O -Kandra,
Dist-Seraikela-Kharsawan, Jamshedpur,
Jharkhand-832402.

विषय :- Request for issuance of Suitability Report for 18.69 Acres land located in Village-Kamta, Thana no. 0045, Circle-Sisai, Dist-Gumla, Jharkhand, in favour of M/s Amalgam Steel & Power Limited for the purpose of Compensatory Afforestation.

प्रसंग :- आपका पत्रांक ASPL/LL/024/22 दिनांक 04.03.2022

महाराय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के संबंध में सूचित करना है कि मौजा- काण्डा पो0-काण्डा, जिला-सरायकेला-खरसावा में अवस्थित M/s Amalgam Steel & Power Limited का एकीकृत स्टील प्लॉट के विस्तार एवं आधुनिकीकरण के विरुद्ध क्षतिपूरक वनरोपण हेतु आवेदित भूमि मौजा-कामता थाना नं0- 0045 अंचल- सिसई, जिला- गुमला में कुल रकबा 18.69 acre गैर वन भूमि का उपयुक्तता (Suitability) प्रमाण-पत्र हेतु आपके द्वारा प्रस्ताव समर्पित किया गया है।

उक्त प्रस्ताव के साथ संलग्न भूमि अभिलेखों के आधार पर स्थलीय जांच वन क्षेत्र पदाधिकारी, गुमला द्वारा की गई। अधोहस्ताक्षरी द्वारा भी उक्त स्थल का निरीक्षण किया गया। आवेदित गैर वन भूमि क्षतिपूरक वृक्षारोपण के योग्य है एवं वन सीमा से बाहर है। क्षतिपूरक वनरोपण हेतु उपयुक्त पाया गया गैर वन भूमि का विवरणी निम्नवत है:-

क्र०सं०	मौजा का नाम	थाना नं०	खाता नं०	प्लॉट	रकबा
1	Kamta	0045	01	409	0.26
2				410	1.28
3				411	9.00
4				450	6.84
5				451	0.92
6				452	0.39
Total -					18.69 Acre

(Signature)

उपरोक्त गैर वन भूमि को क्षतिपूरक वनरोपण हेतु उपयुक्तता प्रमाण-पत्र निम्नांकित शर्तों के साथ निर्गत किया जाता है:-

1. उक्त भूमि का अधिक से अधिक 5 (पांच) चैन की दूरी पर एवं कम से कम प्रत्येक मोड़ पर पक्का स्तम्भ (R.C.C. पीलर) से सीमांकन करना होगा। पीलर की आकार विभागीय माप-दण्डों के अनुरूप होगा।
2. प्रत्येक पीलर का G.P.S. रीडिंग के साथ फोरवर्डबैरिंग, बैकवर्डबैरिंग एवं पीलर से पीलर की दूरी पीलर क्रमांक सहित दर्शाना होगा।
3. उक्त भूमि पर को क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु स्वीकार करने के पूर्व प्रयोक्ता अभिकरण को उक्त भूमि का मालिकाना हक प्राप्त करना होगा साथ ही भूमि के अतिक्रमण एवं सभी प्रकार के अधिभार से मुक्त होने का प्रमाण-पत्र सक्षम स्तर से प्राप्त कर समर्पित करना होगा। इसके उपरान्त ही उक्त भूमि को क्षतिपूरक वृक्षारोपण के रूप में स्वीकार की जायगी।
4. यदि उक्त भूमि पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण कार्य के अलावे कोई अन्य कार्य किया जाता है तो यह Suitability Certificate स्वतः रद्द समझा जायेगा।
5. आवेदित भूमि पर किसी प्रकार का वैधानिक अड़चन होने पर अनापत्ति स्वतः रद्द समझा जायेगा।
6. विभाग को हस्तांतरण के पूर्व आवेदित भूमि पर किसी प्रकार का अतिक्रमण होने पर अनापत्ति स्वतः रद्द समझा जायेगा।
7. भविष्य में अभिलेखों में किसी प्रकार की त्रुटि पाये जाने पर अनापत्ति प्रमाण पत्र रद्द कर दिया जायेगा एवं इसकी सारी जवाब देवी प्रयोक्ता अभिकरण की होगी।
8. विभाग को हस्तांतरण में यदि आवेदित भूमि पर किसी प्रकार का अतिक्रमण या वैधानिक अड़चन उत्पन्न होने पर उपलब्ध करायी जाने वाली गैर वन भूमि के बदले में आपको समतुल्य गैर वन भूमि उपलब्ध कराना होगा।
9. झारखण्ड राज्य सरकार एवं प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड, राँची द्वारा समय-समय पर निर्गत निर्देशों एवं शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
10. आवेदित भूमि को प्रयोक्ता अभिकरण अपने पक्ष में हस्तांतरित करने में झारखण्ड राज्य में लागू भूमि संबंधित सभी नियम एवं कानून का अक्षरशः पालन करेंगे।

उक्त भूमि को विभाग के पक्ष में हस्तांतरण करने के पूर्व उपरोक्त शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे।

विश्वासभाजन

वन प्रमण्डल प्रदाधिकारी
गुमला वन प्रमण्डल, गुमला।



कार्यालय:- वन प्रमण्डल पदाधिकारी, गुमला वन प्रमण्डल, गुमला।

वन भवन-गुमला 835207

e-mail :- forest-gumla@jharkhandmail.gov.in

पत्रांक183...../ दिनांक26/03/2022...../

सेवा में,

Amalgam Steel & Power Limited,
Kandra Chowk Road, P.O -Kandra,
Dist-Seraikela-Kharsawan, Jamshedpur,
Jharkhand-832402.

विषय :- Request for issuance of Suitability Report for 33.72 Acres land located in Village-Samal, Thana no. 0059, Circle-Sisai, Dist-Gumla, Jharkhand, in favour of M/s Amalgam Steel & Power Limited for the purpose of Compensatory Afforestation.

प्रसंग :- आपका पत्रांक ASPL/LL/020/22 दिनांक 12.02.2022

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के संबंध में सूचित करना है कि मौजा- काण्ड्रा पो0-काण्ड्रा, जिला-सरायकेला-खरसावा में अवस्थित M/s Amalgam Steel & Power Limited का एकीकृत स्टील प्लॉट के विस्तार एवं आधुनिकीकरण के विरुद्ध क्षतिपूरक वनरोपण हेतु आवेदित भूमि मौजा-समल थाना नं0- 0059 अंचल- सिसई, जिला- गुमला में कुल रकबा 33.72 acre गैर वन भूमि का उपयुक्तता (Suitability) प्रमाण-पत्र हेतु आपके द्वारा प्रस्ताव समर्पित किया गया है।

उक्त प्रस्ताव के साथ संलग्न भूमि अभिलेखों के आधार पर स्थलीय जांच वन क्षेत्र पदाधिकारी, गुमला द्वारा की गई। अधोहस्ताक्षरी द्वारा भी उक्त स्थल का निरीक्षण किया गया। प्रमण्डलीय अभिलेख के अनुसार आवेदित भूमि विवरण में अंकित मौजा-समल, खाता संख्या-19, प्लॉट संख्या- 657, रकबा-20.65 एकड़ अधिसूचित सीमांकित वन भूमि है। इसके अतिरिक्त आवेदित गैर वन भूमि क्षतिपूरक वृक्षारोपण के योग्य है एवं वन सीमा से बाहर है। क्षतिपूरक वनरोपण हेतु उपयुक्त पाया गया गैर वन भूमि का विवरणी निम्नवत है:-

क्र0सं0	मौजा का नाम	थाना नं0	खाता नं0	प्लॉट	रकबा
1	Samal	0059	05	634	0.43
2			05	635	10.92
3			05	645	0.32
4			05	646	0.49
5			19	650	0.91
Total -					13.07

उपरोक्त गैर वन भूमि को क्षतिपूरक वनरोपण हेतु उपयुक्तता प्रमाण-पत्र निम्नांकित शर्तों के साथ निर्गत किया जाता है:-

1. उक्त भूमि का अधिक से अधिक 5 (पांच) चैन की दूरी पर एवं कम से कम प्रत्येक मोड़ पर पक्का स्तम्भ (R.C.C. पीलर) से सीमांकन करना होगा। पीलर की आकार विभागीय माप-दण्डों के अनुरूप होगा।
2. प्रत्येक पीलर का G.P.S. रीडिंग के साथ फोरवर्डबैरिंग, बैकवर्डबैरिंग एवं पीलर से पीलर की दूरी पीलर क्रमांक सहित दर्शाना होगा।
3. उक्त भूमि पर को क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु स्वीकार करने के पूर्व प्रयोक्ता अभिकरण को उक्त भूमि का मालिकाना हक प्राप्त करना होगा साथ ही भूमि के अतिक्रमण एवं सभी प्रकार के अधिभार से मुक्त होने का प्रमाण-पत्र सक्षम स्तर से प्राप्त कर समर्पित करना होगा। इसके उपरान्त ही उक्त भूमि को क्षतिपूरक वृक्षारोपण के रूप में स्वीकार की जायगी।
4. यदि उक्त भूमि पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण कार्य के अलावे कोई अन्य कार्य किया जाता है तो यह Suitability Certificate स्वतः रद्द समझा जायेगा।
5. आवेदित भूमि पर किसी प्रकार का वैधानिक अड़चन होने पर अनापत्ति स्वतः रद्द समझा जायेगा।
6. विभाग को हस्तांतरण के पूर्व आवेदित भूमि पर किसी प्रकार का अतिक्रमण होने पर अनापत्ति स्वतः रद्द समझा जायेगा।
7. भविष्य में अभिलेखों में किसी प्रकार की त्रुटि पाये जाने पर अनापत्ति प्रमाण पत्र रद्द कर दिया जायेगा एवं इसकी सारी जवाब देवी प्रयोक्ता अभिकरण की होगी।
8. विभाग को हस्तांतरण में यदि आवेदित भूमि पर किसी प्रकार का अतिक्रमण या वैधानिक अड़चन उत्पन्न होने पर उपलब्ध करायी जाने वाली गैर वन भूमि के बदले में आपको समतुल्य गैर वन भूमि उपलब्ध कराना होगा।
9. झारखण्ड राज्य सरकार एवं प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड, राँची द्वारा समय-समय पर निर्गत निर्देशों एवं शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
10. आवेदित भूमि को प्रयोक्ता अभिकरण अपने पक्ष में हस्तांतरित करने में झारखण्ड राज्य में लागू भूमि संबंधित सभी नियम एवं कानून का अक्षरशः पालन करेंगे।

उक्त भूमि को विभाग के पक्ष में हस्तांतरण करने के पूर्व उपरोक्त शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे।

विश्वासभाजन

वन प्रमण्डल पदाधिकारी,
गुमला वन प्रमण्डल, गुमला।

कार्यालय: वन प्रमण्डल पदाधिकारी, जमशेदपुर वन प्रमण्डल, जमशेदपुर।



(सी० एच० एरिया रोड नं० 1, जमशेदपुर-831001)

दूरभाष संख्या- 0657-2231017, फैक्स-0657-2231017, ई-मेल- dfo-jamshedpur@gov.in



पत्रांक: 2052 / जमशेदपुर

दिनांक: 03/09/2021

प्रेषक,

वन प्रमण्डल पदाधिकारी,
जमशेदपुर वन प्रमण्डल,
जमशेदपुर।

सेवा में,

मेसर्स अमलगम स्टील एवं पावर लिमिटेड,
कान्द्रा चौक रोड, पो०-कान्द्रा,
जिला-सरायकेला-खरसावाँ

विषय :-

Request for issuance of Suitability Report & CA Scheme for 16.48 Acre land located in the Village- Banmakdi, Thana No. 1019, Circle Office- Ghurabandha, Dist- East Singhbhum, Jharkhand, in Favour of M/s Amalgam Steel & Power Limited for the Purpose of Compensatory Afforestation के संबंध में।

प्रसंग :-

आपका पत्रांक ASPL/LL/013/21 दिनांक 15.03.2021

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के संदर्भ में सूचित करना है कि मेसर्स अमलगम स्टील एवं पावर लिमिटेड, कान्द्रा चौक रोड, पो०-कान्द्रा, जिला- सरायकेला-खरसावाँ द्वारा क्षतिपूर्क वनरोपण हेतु प्रस्तावित गैर-वनभूमि मौजा-बनमाकड़ी, थाना-घाटशिला, थाना नं०-1019, कुल रकवा-14.74 एकड़ रैयती भूमि का जाँच वन क्षेत्र पदाधिकारी, मुसाबनी वन प्रक्षेत्र से कराया गया। आवेदित प्लॉट वन सीमा से सटा हुआ नहीं है, परन्तु क्षतिपूर्क वनरोपण हेतु उपयुक्त है जिसकी विवरणी निम्नवत है :-

क्रम संख्या	मौजा का नाम	थाना नं०	खाता नं०	पैच	प्लॉट नं०	रकवा एकड़ में
1	2	3	4	5	6	7
1	बनमाकड़ी	1019	92	Patch A	2233(P)	0.22
2			92		2234	1.21
3			92		2237(P)	2.75
4			95		2247(P)	0.28
					कुल	4.46
5			92	Patch B	2240	6.10
6			92		2245	2.57
7			92		2249	0.47
8			92		2250	0.04
9			92		2251	0.34
10			92		2252	0.25
11			92		2255	0.51
					कुल	10.28
					सकल योग	14.74

1. यह प्रमाण पत्र मात्र क्षतिपूरक वनरोपण के लिए दिया जा रहा है।
2. विषयगत भूमि वन विभाग को हस्तान्तरण के समय उक्त रकवा में भिन्नता होने पर इसकी पूर्ण जिम्मेदारी संबंधित प्रयोक्ता अभिकरण की होगी।
3. विषयगत भूमि वन विभाग के हस्तान्तरण के समय स्थल पर पीलर क्षतिग्रस्त होने पर या स्थापित नहीं रहने पर पुनः स्थापित करने की जिम्मेवारी प्रयोक्ता अभिकरण की होगी।
4. विषयगत भूमि वन विभाग के हस्तान्तरण के समय अतिक्रमण मुक्त भूमि हस्तगत कराने की जिम्मेदारी प्रयोक्ता अभिकरण की होगी।

विश्वासभाजन

Kantia
3/09/2024
वन प्रमण्डल पदाधिकारी,
जमशेदपुर वन प्रमण्डल,
जमशेदपुर।

कार्यालय : वन प्रमंडल पदाधिकारी, सरायकेला वन प्रमंडल, सरायकेला।



जिला-सरायकेला-खरसावाँ।

e-mail- dfo-saraikela@gov.in Telefax No.06597-234891(O)



पत्रांक : 1164 / सरायकेला दिनांक : 26/6/2023

सेवा में,

मेसर्स अमलगम स्टील एवं पावर लिमिटेड,
काण्डा चौका रोड़ पो0-काण्डा
जिला-सरायकेला-खरसावाँ।

विषय : Request for issuance of Suitability Report and Compensatory Afforestation Scheme for 49.97 Acres of land located in Village-Hesalong, Thana No. 103, Circle-Kukru, Dist. Seraikela-Kharsawan, Jharkhand in favour of M/s. Amalgam Steel & Power Limited for the purpose of Compensatory Afforestation.

प्रसंग : आपका पत्रांक ASPL/LL/01/23 दिनांक 16.01.2023

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के संदर्भ में सूचित करना है कि मौजा-काण्डा, पो0-काण्डा, जिला-सरायकेला-खरसावाँ में अवस्थित मेसर्स अमलगम स्टील एवं पावर लिमिटेड, के एकीकृत स्टील प्लान्ट के विस्तारीकरण हेतु अपयोजित होने वाले 34.74 हे० वनभूमि के विरुद्ध क्षतिपूरक वनरोपण हेतु आवेदित भूमि मौजा-हेसालोंग, अंचल-कुक्रु, थाना-चाण्डिल, थाना नं०-103, रकवा-49.97 एकड़ गैर वनभूमि का उपयुक्तता (Suitability) प्रमाण पत्र हेतु आपके द्वारा प्रस्ताव समर्पित किया गया है।

उक्त प्रस्ताव के साथ संलग्न भूमि से संबंधित अभिलेखों के आधार पर स्थलीय जांच वन क्षेत्र पदाधिकारी, चाण्डिल प्रादेशिक प्रक्षेत्र के द्वारा किया गया है। अघोहस्ताक्षरी के द्वारा भी उक्त स्थल का निरीक्षण किया गया। आवेदित गैर-वनभूमि क्षतिपूरक वनरोपण हेतु उपयुक्त है जिसकी विवरणी निम्नवत है :-

क्रमांक	मौजा का नाम	थाना नं०	खता सं०	प्लॉट सं०	रकवा (एकड़ में)
1	हेसालोंग	चाण्डिल-103	149	1(p)	7.300
2			149	4	0.320
3			149	5 (p)	1.630
4			149	6	3.090
5			149	7	0.360
6			149	14	0.350
7			149	15	0.360
8			149	16	1.040
9			149	17	0.160
10			149	18(p)	0.165
11			149	19	0.100
12			149	20	0.500
13			149	21	0.280
14			149	22	0.170
15			149	23(p)	0.480
16			149	24	0.370
17			149	29(p)	17.100
18			149	31	0.900
19			149	32(p)	0.540
20			149	33 (p)	0.890
21			149	34	0.870

22			149	35	0.150
23			149	36 (p)	0.460
24			149	38	0.510
25			149	43	0.390
26			149	44 (p)	0.270
27			149	45 (p)	0.670
28			149	103	0.080
29			149	104 (p)	9.635
30			149	105	0.080
31			149	1912 (p)	0.750
			कुल		49.970

उपरोक्त गैर वनभूमि पर क्षतिपूरक वनरोपण हेतु उपयुक्तता प्रमाण पत्र निम्नांकित शर्तों के साथ निर्गत किया जाता है :-

1. यह प्रमाण पत्र मात्र क्षतिपूरक वनरोपण हेतु उपयुक्तता के संदर्भ में दिया जा रहा है।
2. उक्त भूमि का अधिक से अधिक 5 (पाँच) घेन की दूरी पर एवं कम से कम प्रत्येक मोड़ पर पक्का स्तम्भ (R.C.C. पीलर) से सीमांकन करना होगा। पीलर का आकार विभागीय माप-दण्डों के अनुरूप होगा।
3. प्रत्येक पीलर का GPS Reading के साथ forward bearing and backward bearing एवं पीलर से पीलर की दूरी पीलर क्रमांक सहित दर्शाना होगा।
4. उक्त भूमि को क्षतिपूरक वनरोपण हेतु स्वीकार करने के पूर्व प्रयोक्ता अभिकरण को उक्त भूमि का मालिकाना हक प्राप्त करना होगा साथ ही भूमि के अतिक्रमण एवं सभी प्रकार के अधिभार से मुक्त होने का प्रमाण पत्र सक्षम स्तर से प्राप्त कर समर्पित करना होगा। इसके उपरान्त ही उक्त भूमि का क्षतिपूरक वृक्षारोपण के रूप में स्वीकार की जायेगी।
5. यदि उक्त भूमि पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण कार्य के अलावे कोई अन्य कार्य किया जाता है तो यह Suitability Certificate स्वतः रद्द समझा जायेगा।
6. आवेदित भूमि पर किसी प्रकार का वैधानिक अड़चन होने पर अनापत्ति स्वतः रद्द समझा जायेगा।
7. विभाग को हस्तान्तरण के पूर्व आवेदित भूमि पर किसी प्रकार का अतिक्रमण होने पर अनापत्ति स्वतः रद्द समझा जायेगा।
8. भविष्य में अभिलेखों में किसी प्रकार की त्रुटि पाये जाने पर अनापत्ति प्रमाण पत्र रद्द कर दिया जायेगा एवं इसकी सारी जबाबदेही प्रयोक्ता अभिकरण की होगी।
9. विभाग को हस्तान्तरण करने से पूर्व यदि आवेदित भूमि पर किसी प्रकार का अतिक्रमण या वैधानिक अड़चन उत्पन्न होने पर उपलब्ध करायी जाने वाली गैर वनभूमि के बदले में आपको समतुल्य गैर वनभूमि उपलब्ध कराना होगा।
10. झारखण्ड राज्य सरकार एवं प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड, रांची द्वारा समय-समय पर निर्गत निर्देशों एवं शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
11. आवेदित भूमि को प्रयोक्ता अभिकरण अपने पक्ष में हस्तान्तरित करने में झारखण्ड राज्य में लागू भूमि संबंधित सभी नियम एवं कानून का अक्षरशः पालन करेंगे।

उक्त भूमि को विभाग के पक्ष में हस्तान्तरण करने के पूर्व उपरोक्त शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे।

आदेश 26/06/23

विश्वासभाजन,

वन प्रमंडल पदाधिकारी,
सरकारी वन प्रमंडल।

26-06/23

26/06/23